मुख्यमंत्री से मुलाकात कर काश्यप ने अस्पताल जल्द शुरू करने का आग्रह किया

रतलाम ● विधायक चेतन्य काश्यप ने भोपाल प्रवास के दौरान मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से मुलाकात की। श्री काश्यप ने दीपावली एवं नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए शहर विकास से जुड़े कई विषयों पर श्री चौहान से चर्चा की। उनसे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को जल्द शुरू कराने का आग्रह करते हुए शुभारंभ हेतु रतलाम आने का आमंत्रण भी दिया।

विधायक श्री काश्यप ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से जुड़े अधिकांश कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शासन स्तर पर लंबित अन्य कार्य जल्द से जल्द पूर्ण किए जाएं और अस्पताल आरंभ किया जाए जिससे रतलाम सहित आसपास के सभी जिलों को उसका लाभ मिले। श्री काश्यप ने स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार के लिए जिला अस्पताल का 300 बिस्तरीय नवीन भवन जल्द बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने रतलाम शहर में सीवरेज लाइन की खुदाई एवं अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के उन्नयन हेतु शासन स्तर से शीघ्र राशि जारी करने आग्रह भी किया।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान श्री काश्यप ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने का कानून बनाने पर धन्यवाद दिया। उन्होंने कॉलोनियों के नियमितिकरण के लिए नियम जल्द बनाने एवं उनका क्रियान्वयन करने का आग्रह भी किया।

पूर्व पार्षद पति पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज

12-11

रतलाम. तेजानगर क्षेत्र की पूर्व पार्षद विजयलक्ष्मी राठौड़ के पति विनोद राठौड़ पर शासकीय कार्य में बाधा का केस दर्ज किया है। माणकचौक पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर शांतिलाल चौहान ने बताया कि निगम के उपयंत्री सुहास पंडित की तरफ से मिले आवेदन पर यह केस दर्ज हुआ है। आवेदन 29 अक्टूबर को प्रस्तुत किया गया था। 25 अक्टूबर को तेजानगर में चक्काजाम सूचना पर निगम के जल प्रदाय विभाग के उपयंत्री सुहास पंडित एवं जोन प्रभारी नीरज यादव मौके पर पहुंच कर वॉल सुधरवा कर पेयजल वितरण करवाया था। विनोद राठोड ने उपयंत्री व जोन प्रभारी के उपर निगम के लेबर की गेती उठाकर हमला कर जान से मारने की धमकी दी थी। पंडित व झोन प्रभारी ने वहां से भागते हुए अपनी जान बचाई थी। (दै.भा.)

भाजपा नेता पर निगम इंजीनियर को धमकाने का प्रकरण दर्ज

चक्काजाम के दौरान सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। नगर निगम द्वारा पूर्व पार्षद विजयलक्ष्मी राठौड़ के पति व भाजपा नेता विनोद राठौड़ के खिलाफ चक्काजाम के दौरान नगर निगम के अधिकारियों को धमकाने व शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने की रिपोर्ट माणकचौक थाने में दर्ज कराई गई है। मामला दो सप्ताह पहले तेजानगर में पानी की समस्या को लेकर हुए चक्काजाम के का है। पुलिस ने आरोपित विनोद राठौर के खिलाफ भादवि की धारा 353 व 506 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। नगर निगम के उपयंत्री सुहाष पंडित ने पुलिस को दिए प्रतिवेदन में बताया कि 25 अक्टूबर 2021 को पेयजल समस्या को लेकर क्षेत्रवासियों ने चक्काजाम किया था। उपयंत्री पंडित व जोन प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर वाल्व सुधरवाकर समाधान कराया था। साथ ही इलेक्ट्रीशियन निशिकांत जोशी द्वारा ट्यूबवेल सुधार कार्य चालू किया था। इस दौरान आरोपित विनोद राठौड़ निवासी तेलियों की सड़क द्वारा शांति भंग करते हुए उपयंत्री व जोन प्रभारी को धमकाते हुए हमला कर घायल करने की कोशिश की थी। उपयंत्री व जोन प्रभारी ने वहां से भागकर जान बचाई। राठौड़ ने इलेक्ट्रीशियन को भी जान से मारने की धमकी दी थी। अन्य अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें भी धमकाया। दीपावली त्योहार होने से उस समय रिपोर्ट नहीं की थी। पुलिस के अनुसार प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है सड़कों के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएंगे : काश्यप

कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड़ फोरलेन सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन

प्रसारण न्यूज़ • रतलाम

विधायक चेतन्य काश्यप ने कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड़ फोरलेन तक बनने वाले सीसी रोड के कार्य का समारोहपूर्वक भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रतलाम में सीवरेज योजना की खुदाई एवं वर्षाकाल के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, इन्हें फिर से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आश्वस्त किया है कि सड़क निर्माण के लिए रतलाम को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, निलेश गांधी, करणधीर्य बड़गोत्या मंचासीन रहे।

विधायक श्री काश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रवास के दौरान फरवरी माह में शहर की सड़को के नव निर्माण हेतु 120 करोड़ की पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई थी। लेकिन मुख्यमंत्रीजी ने सड़कों के कारण शहरवासियों को अधिक परेशानी ना उठाना पड़े इसलिए २-3 वर्ष में ही पर्याप्त राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सीवरेज योजना का कार्य पूर्ण हो गया है, इसका लाभ शहरवासियों को जल्द ही देखने को मिलेगा। सीवरेज लाईन के कारण नालियों में सिर्फ बारिश का पानी ही रहेगा और वर्ष भर वे सूखी रहेगी। इससे बीमारियां भी खत्म होगी।

श्री काश्यप ने कहा कि रतलाम को महानगर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। 1800 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की योजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और शहर के विकास को नई गति मिलेगी। श्री काश्यप ने शहरवासियों से आयुष्मान भारत कार्ड एवं संबल कार्ड बनवाने का आग्रह किया। उन्होंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए सभी शहरवासियों से टीकाकरण पूर्ण कराने का आह्वान करते हुए कहा कि पहली लहर में टीका नहीं था तो दूसरी लहर आई। यदिं अब टीकाकरण हो गया तो तीसरी लहर पर विजय प्राप्त हो जाएगी।

भूमि पूजन समारोह में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरूण राव ने कहा कि हमे ऐसा नेतृत्व मिला है जो रतलाम को नगर से महानगर बनने की ओर ले जा रहा है। मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित ने कहा कि विधायक श्री काश्यप के नेतृत्व में रतलाम के समग्र विकास की अवधारणा साकार हो रही है। पूर्व पार्षद पप्पु पुरोहित ने कहा कि श्री काश्यप के नेतृत्व में रतलाम का समूचा विकास हुआ है। उनके वार्ड में कोई कार्य शेष नहीं रहा है। कार्यक्रम के आरंभ में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री हनीफ शेख ने सड़क निर्माण कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण के कार्य की लागत 46 लाख रुपए है। इसके करीब 17 लाख की लागत से नाली निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। विधायक श्री काश्यप ने इस मौके पर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा निर्मित कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों द्वारा नगर के चौतरफा विकास के लिए विधायक चेतन्य काश्यप का अभिनंदन किया गया। संचालन जिला कार्यालय मंत्री मनोज शर्मा ने किया। आभार नारायण सांकला ने माना।

कार्यक्रम में मनीषा शर्मा, प्रहलाद पटेल, भगतसिंह भदोरिया, देवशंकर पाण्डेय, सुशील सिलावट, पवन सोमानी, प्रकाश बंशीवाल, विनोद यादव, नितिन पांडे, विनोद आचार्य, जयेश वसावा, सुशील नागर, अभय जैन, संतोष तिवारी, बाबुलाल मालवीय, कमल गुप्ता, विवेक शर्मा, जयश्री राठौर, मीना टांक, निगम इंजीनियर एम.के. जैन, हितेष पंडित सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासीगण उपस्थित थे।

ग्रीन बेल्ट पर बने पक्के निर्माण जमींदोज

निगम की कार्रवाई : कनेरी रोड पर करीब ढाई हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर काट दी कॉलोनी

पीपुल्स संवाददाता ● रतलाम
मो.नं. 98264-86291

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। शहर के कनेरी रोड पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर काटी गई अवैध कॉलोनी पर जेसीबी चली। प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध मुहिम के तहत गुरुवार को नगर निगम और प्रशासन की टीम ने कनेरी रोड पर बड़ी कार्रवाई की। करीब ढाई हेक्टेयर क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर विकसित कॉलोनी पर कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम का अमला पहुंचा है। यहां बिना अनुमति के बनाए गए कॉटेज और बंगलों के पक्के निर्माण को भी हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान नामली प्रवास पर भी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों का निर्माण तोड़े जाने के निर्देश जारी किए थे, वहीं कलेक्टर ने इस संबंध में राजस्व और निगम के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यहां फार्म हाउस और कॉटेज की अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार शिवनारायण राठौर, अशोक राठौड़, यशोदाबाई राठौड़, स्वाति राठौड़ और कमलेश राठौड़ के मालिकाना हक की जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई थी। वहीं, अन्य सर्वे नंबर में कांतिलाल जैन, कमलेश जैन और सोनम जैन के नाम की जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई थी।

जिम्मेदार तुरंत कार्रवाई करें

कलेक्टर कुमार पुरुषोतम द्वारा सर्वसंबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में अवैध कालोनियों का निर्माण नहीं हो। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया गया तो संबंधित मुख्य नपा अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं उसका अधीनस्थ आमला जिम्मेदार होगा। संबंधित एसडीएम की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। इसी तरह निगमायुक्त को भी निर्देशित किया कि अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र का इंजीनियर पर कार्रवाई होगी।

अवैध कॉलोनी निर्माण पाए जाने पर तहसीलदार, नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे

रतलाम। कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सर्वसंबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में अवैध कालोनियों का निर्माण नहीं हो। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया गया तो संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं उसका अधीनस्थ आमला जिम्मेदार होगा। संबंधित एसडीएम की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। इसी तरह रतलाम नगर निगम आयुक्त को भी निर्देशित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र का इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन

रतलाम। क्रेडिट आउटरीच कैंप सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा ताल जिला रतलाम में 8 नवंबर को आयोजित किया गया। इस अवसर पर रतलाम जिला अग्रणी प्रबंधक श्री दिलीप सेठिया, प्रभारी ग्रामीण विकास विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रतलाम श्री त्रिलोक सांखला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा ताल के शाखा प्रबंधक श्री सचिन पांडे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा ताल के शाखा प्रबंधक श्री नंदकिशोर, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक शाखा ताल के शाखा प्रबंधक श्री अखिलेश जैन, स्टाफ, सम्माननीय ग्राहकगण एवं आमजन तथा बीसी उपस्थित थे। जिला अग्रणी प्रबंधक द्वारा ग्राहकगण एवं आम नागरिकों को शासन चलित सभी शासकीय ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड में सतर्क रहने, सी एम हेल्पलाइन शिकायत नहीं करने एवं ऋण की किस्त समय पर चुकाने के बारे में बताया गया।

गार्ड के लिए बनाए गए 150 फीट के कमरे भी ढहा दिए, कॉलोनी की बाउंड्रीवाल से लेकर शेड तोड़े

7 घंटे में बाउंड्री व 700 मीटर सीसी रोड तोड़ी

पत्रिका इंडेप्थ स्टोरी

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा खोले गए मोर्चे के बाद नगर निगम ने ग्रीन बेल्ट सहित अन्य भूमि पर बनाई जा रही अवैध कॉलोनी के मामले में बड़ी कार्रवाई गुरुवार को की। 7 घंटे में कॉलोनी में बनाई 700 मीटर लंबी सीसी रोड, तीन बंगलों की बाउंड्री, गार्ड के लिए बनाए गए 150 फीट के कमरे सहित अन्य पक्के निर्माण को जेसीबी की मदद से ढ़हा दिया।

अवैध कॉलोनी के निर्माण करने वालों के खिलाफ गुरुवार को कनेरी रोड स्थित ग्रीनबेल्ट सहित अन्य भूमि पर अवैध तरीके से बनाई कॉलोनी को तोड़ने दल सुबह करीब 11.30 बजे पहुंचा। नगर निगम के आयुक्त सोमनाथ झारिया, शहर एसडीएम अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, पुलिस सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सबसे पहले सीसी रोड को तोड़ने की कार्रवाई जेसीबी से की गई। करीब दो घंटे का समय इसको तोड़ने में लगा। कार्रवाई के दौरान ही तीन बने हुए बंगलों की बाउंड्री को तोड़ने की कार्रवाई जब शुरू हुई तो इसके मालिक पहुंचे व समय मांगा। आयुक्त झारिया ने बाउंड्री को तोड़ने की कार्रवाई जारी रखने को कहा व शेष के लिए समय दे दिया। निगम अधिकारियों के अनुसार किसी शिवनारायण नाम के व्यक्ति ने 2.75 हैक्टेयर भूमि पर कॉलोनी के लिए जमीन की बिक्री की। अवैध कॉलोनी को कॉटेज की सूरत में काटने के साथ 8 मीटर चौड़ी और 700 मीटर लंबी सीसी रोड बनाई गई।

यह है भूमि स्वामी

नगर निगम के कॉलोनी सेल के प्रभारी सुरेशचंद्र व्यास ने बताया इस अवैध कॉलोनी का भूमि स्वामी शिवनारायण पिता मांगीलाल, अशोक पिता मांगीलाल, यशोदाबाई पति मांगीलाल, स्वाति पति कमलेश राठौड़ एवं कमलेश राठौड़ के अलावा दूसरे भूमि स्वामी कातिलाल पिता मिश्रीमल, कमलेश पिता कातिलाल एवं सोनम पति अंकित जैन है। कुछ दिन पूर्व राजस्व विभाग एवं नगर निगम से जारी नोटिस जारी किया गया था। हालाकि कॉलोनाइजर ने निगम अधिकारियों को कहा कि उन्होंने कृषि भूमि पर आने जाने के लिए सीसी रोड बनाई है। जब एसडीएम गेहलोत ने सवाल कर लिया कि तीन बंगले क्या खेत के मवेशी बांधने के लिए बनाए है तो भूमि स्वामी बगैर कुछ बोले ही चले गए।

जारी रहेगी कार्रवाई

नगर निगम व प्रशासन ने मिलकर कनेरी रोड स्थित निर्माण की जा रही अवैध कॉलोनी में कार्रवाई की है। करीब 7 घंटे तक कार्रवाई की गई, जिसमे अवैध निर्माण को ढ़हाया गया है। जो कार्य शेष रह गया है, उसको शुक्रवार को किया जाएगा। तोड़फोड़ के दौरान कॉलोनाइजर से 15 हजार रुपए प्रतिघंटा की दर से जुर्माना वसूलने का नोटिस जारी कर दिया है। - **सोमनाथ झारिया,** आयुक्त नगर निगम

कनेरी रोड पर अवैध कालोनी की सड़क, तीन काटेज तोड़े

सख्त कार्रवाई : छोटे प्लाट काटकर बेच दिए, नगर निगम एफआइआर भी कराएगा

कनेरी रोड पर खेती की जमीन पर बने काटेज व सड़क को जेसीबी से तोड़ता निगम अमला। ●नईदुनिया

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। काटेज के नाम पर छोटे-छोटे भूखंड बेचने व कृषि भूमि में सीसी रोड बनाने को अवैध कालोनी मानते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को कनेरी रोड स्थित कालोनी पर राजस्व, नगर निगम के अमले ने कार्रवाई कर तीन काटेज, एक शेड व खेती की भूमि पर बनी सीसी रोड तोड़ दी। इसके साथ ही इनके कालोनाइजरों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) में कारावास व अर्थदंड के लिए एफआइआर भी कराई जाएगी।

कनेरी रोड पर शिवनारायण, अशोक कुमार राठौड़ पुत्र स्व. मागीलाल राठौड़, यशोदाबाई पत्नी मांगीलाल राठौर, स्वाति पत्नी कमलेश राठौड़, कमलेश राठौड़, कांतिलाल पुत्र मिश्रीमल, कमलेश पुत्र कांतिलाल, सोनम पत्नी अंकित जैन व अन्य व्यक्तियों द्वारा सर्वे क्रमांक 872/2 की 2.75 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कालोनी विकसित कर ली थी। इस पर गुरुवार सुबह एसडीएम शहर अभिषेक गेहलोत, तहसीलदार गोपाल सोनी, आरआइ, पटवारी सहित निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया, कार्यपालन यंत्री सुरेशचंद्र व्यास व निगम अमला पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचा। मौके पर छह मीटर चौड़ी व 300 मीटर लंबी सीसी रोड बनी पाई गई और ऋषभ पुत्र अरविंद मूणत निवासी भगतपुरी, प्रीति पत्नी राहुल देवड़ा निवासी दीनदयाल नगर, हेमंत पुत्र पीजी राय निवासी काटजू नगर के 6000-6000 वर्गफीट भूमि पर काटेज, इसी तरह आनंदीलाल पुत्र रतनलाल कोठारी निवासी तेलियों की सड़क का 20 बाय 30 वर्गफीट भूमि पर पतरे का शेड बना पाया गया। शेष खुली जमीन पर भी छोटे-छोटे भूखंड में पोल लगे पाए गए।

आठ घंटे चली कार्रवाई: कनरी रोज पर निर्माण को अवैध कालोनी मानते हुए सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू की गई जो शाम सात बजे तक चली। आठ घंटे चली कार्रवाई में दो जेसीबी, तीन जेसीबी ब्रेकर, एक ट्रैक्टर, एक डंपर की सहायता से तीनों काटेज, शेड व रोड तोड़ी गई। निर्माण तोड़ने में लगे संसाधन व खर्च को लेकर अब भूमि स्वामी से नगर निगम 15 हजार रुपये प्रतिघंटे के मान से वसूली भी करेगा।

रिकार्ड में अलग-अलग नाम दर्ज

शहर के बाहरी मार्गों पर कई जगह कृषि भूमि को कालोनी नियमों से विकसित करने के बजाए काटेज के नाम पर 6000 से 10000 वर्गफीट के भूखंड काटकर बेच दिया गया। शासकीय नियमों में किसी भी भूमि के 5500 वर्गफीट से छोटे भूखंड करने पर कालोनी एक्ट के अंतर्गत अनुमति लेकर विकास करना पड़ता है, इससे बचने के लिए जमीन का डायवर्जन कराकर 6000 वर्गफीट या इससे अधिक क्षेत्रफल में भूखंड बेचे जाते हैं। इसमें राजस्व विभाग व नगर निगम के रिकार्ड में भूमि स्वामी, डेवलपर के अलग-अलग नाम दर्ज होने से भी कार्रवाई में देरी होती है। इस वजह से इस बार दोनों विभागों से तस्दीक के बाद नाम चिह्नित किए गए हैं। इस तरह कालोनियों से शासन को राजस्व का नुकसान होने के साथ ही अवैध बसाहट भी बढ़ती है। यही वजह है कि अब ऐसी कालोनियों को चिह्नित कर कार्रवाई की जा रही है।

> कनेरी रोड पर तीन कालोनियों को लेकर साल भर पहले ही नोटिस दिए गए थे। अवैध कालोनी निर्माण को लेकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।
> \- सोमनाथ झारिया, निगमायुक्त

13-11-21

मध्यप्रदेश ने एक दिन में फिर बनाया वैक्सीनेशन में रिकार्ड

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने दी प्रदेशवासियों को बधाई

12-11-21

उज्जैन । मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश की जागरूकता जनता के सहयोग से टीकाकरण महाअभियान में देश में पुनः सर्वाधिक वैक्सीनेशन का रिकार्ड बनने पर सभी को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शत-प्रतिशत टीकाकरण के लिये चलाये जा रहे महाअभियानों में आज बड़ी सफलता मिली है। बुधवार 10 नवम्बर को रात्रि 9 बजे तक 13 लाख 52 हजार टीके लगाये गये, जो देश में हुए कोविड टीकाकरण में सर्वाधिक हैं।

प्रदेश में आज 11 हजार 159 टीकाकरण केन्द्रों पर वैक्सीन लगाने की सभी व्यवस्थाएँ की गई थीं। केन्द्रों पर सुबह 9 बजे से टीका लगवाने के लिये लोगों का आना शुरू हुआ, जो दिन भर चलता रहा। जन-समुदाय की भागीदारी से टीकाकरण महाअभियान-5 को सफलता मिली। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दिसम्बर अंत तक प्रदेश के शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये 10, 17 और 24 नवम्बर एवं एक दिसम्बर को कोविड टीकाकरण महाअभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार 10 नवम्बर को कोविड टीकाकरण महाअभियान-5 संचालित किया गया। महाअभियान को सफल बनाने के लिये विशेष रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान के आग्रह पर जन-प्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों, जन-अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने टीकाकरण केन्द्र जाने के लिये प्रेरित किया। स्कूली और महाविद्यालयीन छात्र-छात्राओं, एनसीसी और एनएसएस के छात्र-छात्राओं ने कोरोना टीकाकरण के लिये परिजनों को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाअभियान की विशेष रणनीति में स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभागों का सक्रिय सहयोग प्राप्त किया गया।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. चौधरी ने दी बधाई-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी ने कोविड टीकाकरण महाअभियान-5 की सफलता पर टीकाकरण से जुड़े अधिकारी-कर्मचारियों के कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ महिला-बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वन, राजस्व, स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग के ग्राम-स्तर से लेकर जिला-स्तर तक पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाने वालों और जिनकी दूसरी डोज ड्यू हो गई थी, उन्हें टीकाकरण केन्द्र लाकर टीका लगवाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर कोरोना मुक्त प्रदेश और देश बनायेंगे। प्रदेश में सभी व्यक्तियों को 31 दिसम्बर के पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

क्रेडिट आउटरीच कैंप का आयोजन

12-11-21

रतलाम । क्रेडिट आउटरीच कैंप सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट में 8 नवंबर आयोजित किया गया। इस अवसर पर रतलाम जिला अग्रणी प्रबंधक श्री दिलीप सेठिया, प्रभारी ग्रामीण विकास विभाग क्षेत्रीय कार्यालय रतलाम श्री त्रिलोक सांखला, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा आलोट के शाखा प्रबंधक श्री एम एल चौहान, स्टाफ, सम्माननीय ग्राहक गण एवं आमजन तथा बीसी उपस्थित थे। जिला अग्रणी प्रबंधक द्वारा समस्त ग्राहकगण एवं आम नागरिकों को शासन चलित सभी शासकीय ऋण योजनाओं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही ऑनलाइन फ्रॉड में सतर्क रहने, सी एम हेल्पलाइन शिकायत नहीं करने एवं ऋण की किस्त समय पर चुकाने के बारे में बताया गया। कैंप के दौरान शासन द्वारा प्रायोजित योजना जैसे स्वयं सहायता समूह, पीएम स्वानिधि, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता तथा अन्य योजनाओं में ऋण स्वीकृत किए गए।

प्रशासन ने ग्रीन बेल्ट की 2.75 हेक्टेयर जमीन पर बनाई कालोनी की सड़क को तोड़ने की कार्रवाई की

कनेरी रोड पर बनी अवैध कॉलोनी पर चला प्रशासन का बुल्डोजर

राज 12-11-21

रतलाम ■ राज न्यूज नेटवर्क

आज चारो ओर भूमाफियाओं का बोलबाला है, भूमाफियाओं द्वारा लोगों को ठगने और स्वयं के घर देने का स्वप्न दिखाकर जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ को देखते हुए आखिर प्रशासन की चेतना जाग्रत हो ही गई। विगत दिवस गुरुवार को जिला प्रशासन द्वारा कनेरी रोड स्थित ग्रीन बेल्ट की २.७५ हेक्टेयर जमीन पर बनाई गई कालोनी की सडक को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इस दौरान नगर निगम व राजस्व विभाग सहित पुलिस बल तैनात था।

अवैध बंगले भी तोड़े जाएंगे

शहर से करीब ३०० मीटर दूर स्थित कनेरी मुख्य मार्ग स्थित ग्रीनबेल्ट की जमीन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। सीमेंट कांक्रीट सडक उखाड़ने के लिए चलाई जेसीबी चलने के दौरान भूमि स्वामी ने कहा कि खेत पर वाहन से आने जाने के लिए सड़क बनाई गई थी, अवैध तरीके से बने तीन फार्म हाउस भी मवेशियों को रखने के लिए बनाए गए थे जो भी सवालिया निशान है। २.७५ हेक्टेयर भूमि पर अवैध तरीके से सीमेंट कांक्रीट सड़क के अलावा तीन पक्के फार्म हाउस भी है। जिन्होने बंगलो का रूप ले रखा है। जो भी तोड़े जाएंगे। पहले सड़क को तोड़ा जाकर ग्रीन बेल्ट की जमीन को सुरक्षित कर भवनों को तोड़ने का कार्य किया जाएगा। इस अवैध कालोनी को कॉटेज के रुप में काटने के साथ ८ फीट चौड़ी और ७०० मीटर लंबी सीमेंट कांक्रीट बनाई गई। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा प्रारंभ की गइ अवैध कालोनियों के खिलाफ मुहिम के अंतर्गत कनेरी रोड स्थित ग्रीन बेल्ट की जमीन पर भूमि स्वामी शिवनारायण पित मांगीलाल, अशोक पिता मांगीलाल यशोदाबाई पति मांगीलाल द्वारा अवैध तरीके से अवैध कालोनी बनाई गई। राजस्व विभाग एवं नगर निगम से नोटिस जारी किया गया थ जिसके तहत अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की गई। जिसको देखने के लिए गांव के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे।

कनेरी रोड पर बनी अवैध कॉलोनी के काटेज को प्रशासकीय अमले ने तोड़ा

स्वदेश 12-11-21

रतलाम ● स्वदेश समाचार

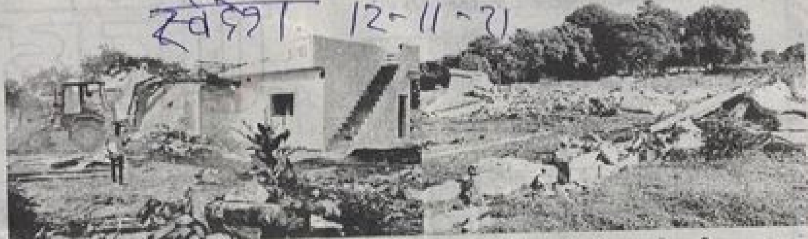

कनेरी रोड पर सर्वे क्रमांक 872/2 रकबा 2.75 पर अवैध रूप से निर्माण कार्य किए जाने पर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई नगर निगम तथा राजस्व विभाग के अमले द्वारा की गई, जो देर शाम तक जारी रही।

भू-स्वामी द्वारा उक्त भूमि को छोटे-छोटे भूखण्डों में विभाजित कर सीमेंट कांक्रीट के पोल लगाए गए थे। भू-स्वामी का यह कृत्य अवैध कॉलोनी निर्माण का होना पाए जाने से राजस्व विभाग, एसडीएम, तहसीलदार, आरआई, पटवारी, निगम आयुक्त सहित निगम अधिकारी व पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में जेसीबी डम्पर द्वारा अवैध निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की गई तथा रोड,काटेज, सीमेंट कांक्रीट के पोल हटाए गए। उक्त कार्रवाई का मौके पर पंचनामा भी बनाया गया।

ज्ञातव्य है कि कनेरी रोड पर शिवनारायण, अशोक कुमार राठौर व अन्य 15 लोगों द्वारा उपरोक्त भूमि पर अवैध कॉलोनी का निर्माण कार्य किया गया। सीमेंट कांक्रीट की सड़क करीब 300एम/6एम में निर्माण किया गया। वहीं ऋषभ पिता अरविन्द मूणत निवासी भगतपुरी, श्रीमती प्रीति पति राहुल देवड़ा निवासी दीनदयाल नगर, हेमंत पिता पी.सी. राय निवासी काटजू नगर द्वारा तीन काटेज बनाए गए एवं आनंदीलाल पिता रतनलाल कोठारी निवासी तेलियो की सड़क द्वारा पतरे का शेड बनाया गया, जिसके क्षेत्रफल भी पंचनामें में उल्लेखित किए गए है। सभी को अवैध निर्माण मानते हुए धराशायी कर दिया गया है।

दुकानों के सामने खड़े रहने तक की नहीं मिलती जगह

लोकेंद्र टॉकिज सड़क के फुटपाथ पर ही बना लिया पार्किंग स्टैंड

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. शहर में पार्किंग की समस्या से हर कोई परेशान है। चाहे वह बाजार में खरीदारी करने जाए या किसी प्रमुख बाजार से निकले। उसे पार्किंग नहीं होने से सड़क पर या किनारे खड़े वाहनों की समस्या से जूझना ही पड़ता है। लोकेंद्र टाकिज क्षेत्र में एक समय में वाहनों की आवाजाही के साथ ही इस पर भी दोनों तरफ की दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की पार्किंग की समस्या थी। अब जबकि फोरलेन बन गया तो भी यहां की पार्किंग की समस्या का कोई निदान नहीं हुआ है। अब तो पैदल चलने वालों की समस्या खड़ी हो गई है क्योंकि वाहनों को फुटपाथ पर ही लाइन से खड़ा कर दिया जा रहा है।

लोकेंद्र टाकिज क्षेत्र से शहर सराय, न्यू रोड, बाल चिकित्सालय और जिला अस्पताल, जिला जेल की तरफ आने के मार्ग हैं। इन पर 24 घंटे में से 18 घंटे यातायात का भारी आवागमन होता है। यह व्यावसायिक क्षेत्र भी होने से दुकानदारों और खरीदारों के वाहन फुटपाथ पर ही खड़े रहते हैं। वजह साफ है कि किसी भी संस्थान के यहां पार्किंग की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यही नहीं इसी क्षेत्र में दो बैंक भी हैं जिनमें आने वाले ग्राहकों के वाहन पार्किंग की भी कोई व्यवस्था नहीं होने से सारे वाहन सड़क पर या फुटपाथ पर ही खड़े रहते हैं। दीगर बात यह है कि इसी क्षेत्र में निवर्तमान महापौर सुनीता यार्दे का निवास और उनका अस्पताल भी संचालित होता है।

पंचायत चुनाव को लेकर नोडल अधिकारी नियुक्त

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

रतलाम. जिले में आने वाले समय में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई है। चुनावी प्रक्रिया को सुचारू संचालन के लिए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने इसके लिए 16 नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं। जारी आदेश के अनुसार अपर कलेक्टर एम.एल. आर्य को मॉडल कोड आफ कंडक्ट एवं ला एंड आर्डर का दायित्व सौंपा गया है।

चुनावी प्रक्रिया में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जमुना भिड़े को मेन पावर मैनेजमेंट, शिकायत निराकरण के लिए परियोजना अधिकारी शहरी विकास अरुण पाठक को दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त ट्रेनिंग मैनेजमेंट कार्य डिप्टी कलेक्टर मनीषा वास्कले तथा प्राध्यापक डॉ. सुरेश कटारिया देखेंगे। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, मतपत्र मुद्रण, स्ट्रांग रूम कार्य जिला कोषालय अधिकारी रमेश मौर्य को सौंपा गया है। लोक निर्माण विभाग कार्यपालन यंत्री अनुरागसिंह ईवीएम मैनेजमेंट देखेंगे।

रतलाम में अवैध कालोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण कर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी

'दैनिक अवन्तिका' ▸▸ रतलाम

अवन्तिका 12-11-21

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दिए गए कडे निर्देशों के परिपालन में आज शहर में बनाई जा रही अवैध कालोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और कई अतिक्रमण ढहाए गए। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इन अतिक्रामकों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार,नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने आज कनेरी रोड पर त्रिवेणी के आगे सर्वे न.872-2 की 2.75 हेक्टैयर भूमि पर बनाई जा रही अवैध कालोनी को तोडने की कार्यवाही की गई। इस दौरान इस भूमि पर भगतपुरी निवासी ऋषभ पिता अरविन्द मूणत,दीनदयाल नगर निवासी श्रीमती प्रीति पति राहूल देवडा और काटजू नगर निवासी हेमन्तराय पिता पीसी राय द्वारा बनाए गए तीन काटेज तथा तेलियों की सडक निवासी आनन्दीलाल पिता रतनलाल कोठारी द्वारा बनाए गए पतरे के शेड और इस क्षेत्र में बनाई गई सीसी रोड को ध्वस्त किया गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवैध निर्माण को तोडने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि मालिक ,शिवनारायण,अशोक कुमार पिता मांगीलाल,यशोदाबाई पति स्व.मांगीलाल,स्वाति पति कमलेश राठौर,कमलेश पिता गोपाल राठौर ,भी निवासी शिवपुर हाउस कम्पाउण्ड और कांतिलाल पिता मिश्रीमल,निलेश पिता कांतिलाल और सोनम पिता अंकित जैन को नोटिस जारी किए गए थे।

प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इन सभीके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में एसडीएम अभिषेक गेहलोत,शहर तहसीलदार गोपाल सोनी समेत नगर निगम का अमला भी शामिल था।

ग्रीन बेल्ट पर बनी अवैध कॉलोनी के पक्के निर्माण को तोड़ा

अवैध कॉलोनी निर्माण पर तहसीलदार व नगर पालिका अधिकारी जिम्मेदार

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सर्वसंबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशित किया गया है कि किसी भी स्थिति में अवैध कालोनियों का निर्माण नहीं हो। कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि भविष्य में किसी भी नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी निर्माण होना पाया गया तो संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारी को जिम्मेदार माना जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्र में तहसीलदार एवं उसका अधीनस्थ अमला जिम्मेदार होगा। संबंधित एसडीएम की भी जिम्मेदारी होगी कि अवैध कॉलोनी प्रारंभ होने की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करें। इसी तरह रतलाम नगर निगम आयुक्त को भी निर्देशित किया गया है कि नगरीय क्षेत्र में अगर अवैध कॉलोनी बनना पाई जाती है तो संबंधित क्षेत्र का इंजीनियर इसके लिए जिम्मेदार होगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकेगी।

दबंग दुनिया 12-11-21

कन्नेरी रोड पर नगर निगम एवं प्रशासन के अमले ने की कार्रवाई

रतलाम » दबंग रिपोर्टर

अवैध कॉलोनियों पर प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। शहर के कन्नेरी रोड पर ग्रीन बेल्ट की जमीन पर काटी गई अवैध कॉलोनी पर जेसीबी चलाई गई। प्रशासन द्वारा चलाई जा रही अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध मुहिम के तहत

करीब ढाई हेक्टेयर में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर विकसित कॉलोनी पर कार्रवाई के लिए पुलिस फोर्स के साथ नगर निगम का अमला पहुंचा है। यहां बिना अनुमति के बनाए गए कॉटेज और बंगलों के पक्के

जाएगी।

बुधवार को ग्रामीण क्षेत्र के दौरे के दौरान नामली प्रवास पर भी कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों का निर्माण तोड़े जाने के निर्देश जारी किए

और निगम के कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बाद यहां फार्म हाउस और कॉटेज की अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई शुरू कर दी गई। जानकारी के अनुसार शिवनारायण राठौर, अशोक

और कमलेश राठौड़ के मालिकाना हक की जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई थी। वहीं, अन्य सर्वे नंबर में कांतिलाल जैन, कमलेश जैन और सोनम जैन के नाम की जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की गई थी।

ग्रीन बेल्ट पर निर्माण और काटेजों पर चला जेसीबी का पंजा

रतलाम। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देश पर प्रशासन और नगर निगम की टीम ने अवैध निर्माण और कालोनियों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार को कनेरी रोड पर

▶ अतिक्रमण हटाओं अभियान के तहत संयुक्त दल ने की कार्रवाई

प्रशासन ने ग्रीन बेल्ट की भूमी पर बनी सड़क सहित काटेज को तोड़ने की कार्रवाई को अंजाम दिया। सुबह से शुरु हुई कार्रवाई समाचार लिखने तक जारी रही।

नवभारत

कलेक्टर द्वारा अवैध कालोनियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है । जिले में कई बड़ी कार्रवाईयों को प्रशासन ने अंजाम दिया है । अब ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध निर्माण की और भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरु कर दी है,जिससे हड़कंप मच गया है । गुरुवार को ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन ने कनेरी रोड पर निर्माण तोड़ने की कार्रवाई की । अधिकारिक जानकारी के अनुसार,नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने गुरुवार को कनेरी रोड पर त्रिवेणी के आगे सर्वे न.872-2 की 2.75 हेक्टैयर भूमि पर बनाई जा रही अवैध कालोनी को तोडने की कार्यवाही की गई। कनेरी पर ग्रीन बेल्ट की 2.75 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कालोनी काटते हुए पक्का सड़क निर्माण और तीन काटेज का निर्माण पाया गया था। इसे चिन्हित कर प्रशासन की और से नोटिस जारी किए गए थे। गुरुवार सुबह जिला प्रशासन और निगम का अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी से सड़क को तोड़ा गया। शाम को यहां निर्मित काटेजों को तोड़ने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में एसडीएम अभिषेक गेहलोत,शहर तहसीलदार गोपाल सोनी समेत नगर निगम का अमला भी शामिल था।

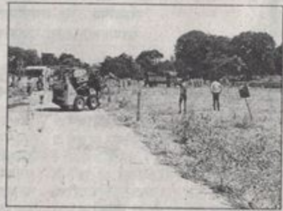

और स्थानों पर हो सकती है कार्रवाई

12-11.21

प्रशासनिक सूत्र बताते है कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर अवैध निर्माण को तोड़ने की इस कार्रवाई के बाद शहर में अन्य स्थानों पर भी प्रशासन इस तरह की कार्यवाई को अंजाम दे सकता है। कई और निर्माण को चिन्हित किया गया है।

अवैध कालोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, अतिक्रमण कर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी

इन्दौर समाचार 12.11.21

रतलाम।

कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम द्वारा दिए गए कडे निर्देशों के परिपालन में आज शहर में बनाई जा रही अवैध कालोनियों पर प्रशासन का बुलडोजर चला और कई अतिक्रमण ढहाए गए। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इन अतिक्रामकों के खिलाफ अब एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार,नगर निगम और जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने आज कनेरी रोड पर त्रिवेणी के आगे सर्वे न. 872-2 की 2.75 हेक्टैयर भूमि पर बनाई जा रही अवैध कालोनी को तोडने की कार्यवाही की गई। इस दौरान इस भूमि पर भगतपुरी निवासी ऋषभ पिता अरविन्द मूणत,दीनदयाल नगर निवासी श्रीमती प्रीति पति राहूल देवडा और काटजू नगर निवासी हेमन्तराय पिता पीसी राय द्वारा बनाए गए तीन कोटेज तथा तेलियों की सडक निवासी आनन्दीलाल पिता रतनलाल कोठारी द्वारा बनाए गए पतरे के शेड और इस क्षेत्र में बनाई गई सीसी रोड को ध्वस्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस अवैध निर्माण को तोडने के लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि मालिक, शिवनारायण, अशोक कुमार पिता मांगीलाल, यशोदाबाई पति स्व.मांगीलाल, स्वाति पति कमलेश राठौर, कमलेश पिता गोपाल राठोर, भी निवासी शिवपुर हाउस कम्पाउण्ड और कांतिलाल पिता मिश्रीमल, निलेश पिता कांतिलाल और सोनम पिता अंकित जैन को नोटिस जारी किए गए थे। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक इन सभीके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण हटाने के इस अभियान में एसडीएम अभिषेक गेहलोत,शहर तहसीलदार गोपाल सोनी समेत नगर निगम का अमला भी शामिल था। रतलाम शहर के अलावा नामली और जिले के अन्य स्थानो पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किए जाने की सूचनाएं मिल रही है। विस्तृत समाचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।रतलाम शहर के अलावा नामली और जिले के अन्य स्थानो पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही किए जाने की सूचनाएं मिल रही है। विस्तृत समाचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड तक 46 लाख में होगा निर्माण

विधायक ने किया फोरलेन निर्माण कार्य का भूमिपूजन

रतलाम. शहर विधायक चेतन्य काश्यप ने कस्तुरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड फोरलेन तक बनने वाले 46 लाख रुपए की लागत वाले सीसी रोड के कार्य का समारोहपूर्वक भूमि पूजन गुरुवार को किया।

निर्माण कार्य की शुरुआत करते हुए विधयक ने कहा कि शहर में सीवरेज योजना की खुदाई एवं वर्षाकाल के कारण रोड क्षतिग्रस्त हुई हैं। इन्हें फिर से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने भरोसा दिया है कि रोड निर्माण के लिए शहर को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएंगे। इस अवसर पर पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, जिला महामंत्री प्रदीप उपाध्याय, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, निलेश गांधी, करणधीर्य बड़गोत्या मंचासीन रहे।

भूमि पूजन समारोह में भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरूण राव, मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, पूर्व पार्षद पप्पु पुरोहित,ने भी संबोधन दिया। नगर निगम के कार्यपालन यंत्री हनीफ शेख ने रोड निर्माण कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस रोड निर्माण के कार्य की लागत 46 लाख रुपए हैं। इसके करीब 17 लाख की लागत से नाली निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। विधायक काश्यप ने इस मौके पर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा निर्मित कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। क्षेत्रवासियों द्वारा नगर के चौतरफा विकास के लिए विधायक चेतन्य काश्यप का अभिनंदन किया गया। संचालन मनोज शर्मा ने किया।

पत्रिका 12-11-21

कस्तूरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड

रतलाम (नईदुनिया प्रतिनिधि)। विधायक चेतन्य काश्यप ने कस्तूरबा नगर रोटरी गार्डन से सैलाना रोड फोरलेन तक बनने वाले सीसी रोड के कार्य का समारोहपूर्वक भूमिपूजन कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रतलाम में सीवरेज योजना की खोदाई व वर्षाकाल के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है। इन्हें फिर से बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने आश्वस्त किया है कि सड़क निर्माण के लिए रतलाम को पर्याप्त राशि उपलब्ध कराएंगे। इस मौके पर पूर्व महापौर शैलेन्द्र डागा, पूर्व जिलाध्यक्ष बजरंग पुरोहित, पूर्व महामंत्री मनोहर पोरवाल, मंडल अध्यक्ष आदित्य डागा, निलेश गांधी, करणधीर्य बड़गोत्या मंचासीन रहे।

सड़क निर्माण कार्य का भूमिपूजन करते हुए विधायक चेतन्य काश्यप। • नईदुनिया

12-11-21

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी अरुण राव, मुखर्जी मंडल अध्यक्ष मयूर पुरोहित, पूर्व पार्षद पप्पू पुरोहित ने कहा कि काश्यप के नेतृत्व में रतलाम का समूचा विकास हुआ है। आरंभ में नगर निगम के कार्यपालन यंत्री हनीफ शेख ने सड़क निर्माण कार्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण के कार्य की लागत 46 लाख रुपये है। करीब 17 लाख की लागत से नाली निर्माण का कार्य भी किया जाएगा। विधायक काश्यप ने इस मौके पर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा निर्मित कार्यालय भवन का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम में क्षेत्रवासियों द्वारा नगर के चौतरफा विकास के लिए विधायक चेतन्य काश्यप का अभिनंदन किया गया। प्रहलाद पटेल, भगतसिंह भदौरिया, पवन सोमानी, प्रकाश बंशीवाल, निगम इंजीनियर एमके जैन, हितेश पंडित सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित थे। आभार नारायण सांकला ने माना।